

15

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष १९८०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है डॉ. रविशंकर वरदा 2. वर्तमान धारित पद सी.एस.डी.ओ.

3. वर्तमान वेतन १९०० अगली वेतनबृद्धि की तारीख ११/१२

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, विधान सभित स्थित का	संपत्ति का नाम तथा व्यंश		वर्तमान मूल्य	बाँट-बँट के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया *खरीद, भेट, वंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिगत की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा व्यंश	संपत्ति से वारिक आय
	संपत्ति का नाम तथा व्यंश	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>नोट: (1) से (7) तक के स्थानों में जो भी स्थिति है।</p>						

नोट: (1) से (7) तक के स्थानों में जो भी स्थिति है।

हस्ताक्षर

नाम

पद

डॉ. रविशंकर वरदा

सी.एस.डी.ओ.

दिनांक

१२/१२/८०

जहाँ लगन न हो वाट दी जाए।
 ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य अनुमाना जाए।
 इसमें अल्पमात्रा में त्रुटि भी सम्मिलित है।
 विधान सभा अधिनियम १९५९ के विधम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मचारी का संपत्ति का विवरण तैयार करने के लिए अचल सम्पत्ति के विवरण तैयार करने का निर्देश है कि वह सेवा में पदवी-निर्दिष्ट के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी-निर्देश के अनुसार तैयार करे और उसे तैयार करके सहायक सचिव को भेजना होगा और उसे विवरण में मिलने या त्रुटि के पश्चात् उसे तैयार करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
 पर्याप्त जानकारी अथवा सहायक सचिव को भेजना पर त्रुटि का दायित्व सहायक सचिव के पास रहेगा।